



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 माघ 1939 (श0)
(सं0 पटना 53) पटना, मंगलवार, 23 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

23 जनवरी 2018

अधिसूचना संख्या 07/2018 – राज्य कर

एस०ओ० 128, दिनांक 23 जनवरी 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में संख्या 872 तारीख 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं. एस. ओ. 163 तारीख 21 सितम्बर, 2017 उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करते हैं।

स्पष्टीकरण.-

- (1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.gst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है; और

- (2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.ewaybillgst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध भारत सरकार इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है;
2. यह अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-1)-229)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

23 जनवरी 2018

एस०ओ० 128, दिनांक 23 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-1)-229)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

The 23rd January 2018

Notification No. 7/2018-State Tax

S.O. 128, dated the 23rd January 2018— In exercise of the powers conferred by section 146 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the notification of the Commercial Taxes Department S.O. 163 dated 21st September, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 872 dated 21st September, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Bihar, hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and www.ewaybillgst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

Explanation.-

- (1) For the purposes of this notification, “www.gst.gov.in” means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
- (2) For the purposes of this notification, “www.ewaybillgst.gov.in” means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-1)—229)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 53-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>